

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गावां, गिरिडीह।

केस का प्रकार – विविध वाद

वाद संख्यां- 16

वर्ष:- 2019-20

आदेश का क्रम
संख्यां एवं तारिख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारिख सहित।

6.1.2021

आवेदक ग्रामीण मो० सदीक वगैरह, ग्राम विशनीटीकर, जिला गिरिडीह के आवेदन पत्र को जांच कर राजस्व उप-निरीक्षक/ प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है उक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। जांच प्रतिवेदन निम्नवत है:-

—: विवादित भूमि का विवरण:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
विशनीटीकर	290	45	3	1.00 एकड

आवेदित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है, किस्म जंगल दर्ज है, स्थल जांच एवं आम ग्रामीणों से पुछताछ के क्रम में पता चला कि उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष द्वारा करबला बनाया गया है। प्रथम पक्ष मो० सदीक, मो० इदरीश, नसामउदीन, मो० मंसूर आलम, मो० समसुल से कागजात की मांग की गयी जो अनिक्षेनिधत हुकुमनामा की मांग की गयी जो अनिक्षेधित हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया, परन्तु द्वितिय पक्ष के द्वारा जांच के क्रम में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विभिन्न तिथियों में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे हैं।

प्रथम पक्ष ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि इस जमीन का फ़ैसला भी कई बार हो चुका है। ग्रामीणों के बीच यह तय हो गया कि रोड से उत्तर में मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे। चन्दलोग कर्बला के जमीन पर हल चलाकर कुरथी भी रोप दिये। प्रथम पक्ष फिर कईबार समाज का सहारा लिया।

द्वितिय पक्ष के द्वारा लिखित बयान के द्वारा उक्त जमीन खाता नं 45, प्लॉट नं 3 (I) रकवा 50 डीसमील (II) 25 डीसमील जमीन हमारे दादा जी के नाम से ही कब्जा में है। तथा मेरे नाम (प्रभु प्रसाद यादव) सरकारी कोटा से चापाकल बना हुआ है।

इस संबंध में द्वितिय पक्ष को उक्त उलेखित योजना से बना चेक स्लिप की


मांग की गयी। परन्तु उपलब्ध नहीं कराया गया।


द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त जमीन का कागजात उपलब्ध कराया है जिसमें कार्यालय एवं किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षरी नहीं है। जो संदेहात्मक प्रतीत होता है।

अतः द्वितीय पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उभय पक्ष चाहे तो उच्चतर सक्षम न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
गावां।
06/01/2021


अंचल अधिकारी,
गावां।
06/01/2021